

# मराठी – हिन्दी भाषा का समन्वय : जनसंपर्क ही बढ़ाते हैं भाषा मेल

डॉ. मधुलता व्यास

सहयोगी प्राध्यापक

रेवाबेन पटेल कॉलेज, भंडारा महाराष्ट्र

अधिकारिक रूप से हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला, हिन्दी दिवस मनाते रहे पर हिन्दी को वो दिन देखने को नहीं मिले कि वो अग्रेंजीयत को हटाकर आगे बढ़ सके। राष्ट्रभाषा न बनने का मलाल तो है पर हिन्दी का मान किसी राष्ट्रभाषा से कम नहीं है। देश का चाहे कोई भी प्रान्त हो, उनकी अलग-अलग भाषा एवं बोलियां हो हिन्दी ने उसमें अपनी विशेष जगह बनायी हैं। कशमीर से कन्याकुमारी तक हिन्दी का विस्तार है।

आज देश में हिन्दी के साथ दूसरी प्रान्तीय भाषाओं का समन्वय आवश्यक है। देश का कोई भी राज्य हो स्कूल और कॉलेज में हिन्दी एक विषय होना जरूरी है।

हिन्दी पाठ्यक्रम भी साधारण बोलचाल से संबंधित हो, साहित्य के गूढ़ और जटिल शब्दों का प्रयोग न हो। हिन्दी का पाठ्यक्रम सरल हो हिन्दी और उस राज्य में चलनेवाली भाषाओं के बोलचाल शब्द हो, जिसका सामान्य उपयोग हर एक व्यक्ति करता हो, इसका लाभ यह होगा कि हिन्दी जाननेवाला, प्रान्तीय शब्दावली और अर्थ को समझ सकेगा और अहिन्दी भाषी, हिन्दी के शब्दों को सरलता से अपना सकेंगे। इससे हिन्दी और प्रान्तीय दोनों भाषाओं का परस्पर समन्वय होगा, और जनमानस भी हिन्दी भाषा के प्रति रुचिकर होगा।

जहां तक हिन्दी-मराठी भाषा के समन्वय का प्रश्न हैं उसमें ज्यादा कोई कठिनाई नहीं। हिन्दी-मराठी के बहुत सारे शब्द एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिलते हैं। हिन्दी-मराठी की लेखन विधि भी समान है। हिन्दी जाननेवाला व्यक्ति उसे आसानी से पढ़ सकता है और लिख भी सकता है। अन्य प्रान्तीय भाषाएँ जैसे तामिल, तेलगू, कन्नड़, मलियाली यह दक्षिण प्रान्त की भाषाएँ हैं। बांगला, उड़िया आदि भाषाओं की लिपि भी हिन्दी-मराठी से भिन्न है, जबकि मराठी भाषा के शब्द और उच्चारण हिन्दी से मेल खाते हैं, बोलने, लिखने और समझने में यह सरल है। जैसे 'समन्वय' शब्द ही लिजिए जिसका कि, मराठी और हिन्दी में एक ही अर्थ है। मराठी भाषा में इस प्रकार अनेकों शब्द मिल जायेंगे, जैसे देश-विदेश भेट, नागरिक, अपवाद, आवष्यकता जनसंख्या, हृदय, तक्रार, मराठी भाषा में उर्दू के शब्द भी मिल जायेंगे। जैसे फुरसत, आरोपी, फरयादी बन्दोबस्तु पुलिस विभाग में आज भी इन शब्दों का प्रचलन है, चाहे हिन्दी हो या मराठी कुछ शब्द मराठी में ऐसे हैं जिनका हिन्दी व्याकरण में 'क' शब्द नहीं हैं कुछ विद्वानों का मत है कि, वैदिक कालीन संस्कृत भाषा 'क' हुआ करता था, जो बाद में संस्कृतनिश्ठ हिन्दी में भी आया, तत्सम शब्दों में धीरे-धीरे, लिखने की कठिनाई के कारण हिन्दी वर्णमाला से लुप्त हो गया।

मराठी-हिन्दी के स्वीकृत शब्दों में मराठी-हिन्दी सम्पर्क भाषा के रूप में सहज स्वीकार लिये गये। क्योंकि वे अपनी अभिव्यक्ति में बहुत सशक्त थे और हिन्दी में उसके समकक्ष, सरल दूसरा शब्द नहीं था, मराठी शब्द है 'पूर्ववत्' जिसका अपभ्रंश होकर पुराना हो गया, अब मेरे शब्द सार्वजनिक रूप से जनसामान्य के बीच छुटपूट व्यवहार में व्यवचृत होता दिखाई देता है। संवादों के बीच हिन्दी-मराठी की यह भाषा प्रिय बन चुकी है। जैसे मोबाईल चार्ज करना नहीं 'पुराता', पच्चास रूपये में 'चालणार' मराठी शब्द है हिन्दी में 'चलता' हो गया।

अपने को ये नहीं चलता हिन्दी का 'अपना शब्द अपुन हो गया। महाराष्ट्र में जैसे "उसको खाना देने का पड़ोसी को मद्द करने का ये मुंबईयों और नाशिक में बोली जानेवाली हिन्दी भाषा है।

इस तरह हम देखते हैं कि भाषा अपना रूप स्वयं गढ़ती है। अपने आप समझ बढ़ाती है। सामाजिक व्यवहार का अपना एक नया शब्दकोश अपने-आप बन जाता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि जो शब्द मराठी में ही मिलते हैं। उन्हें भी हिन्दी में सम्मिलित किया जाय। जैसे समय के लिये वेळ शब्द है यह "ळ" शब्द हिन्दी वर्णमाला में कहीं नहीं हैं, एक शब्द है 'पुराता नहीं', पुराता यह हिन्दी शब्दावली में कहीं नहीं है, हिन्दी में समझाने बैठे तो किसी वस्तु या काम के सम्बन्ध असमर्थ में नहीं पुराता हिन्दी में 'पुराता' शब्द का पर्यायवाची भी नहीं मिलता।

मराठी—हिन्दी भाषा के समन्वय में अधिक प्रयास की आवश्यकता है। हिन्दी जनमानस की भाषा बन गयी है। हिन्दी ने अंग्रेजी शब्दों को भी आत्मसात किया और अंग्रेजी में भी हिन्दी शब्द है। भाषा जैसे लूट, कच्चा, पक्का विभिन्न भाषाओं का संगम हिन्दी है। दरिया, समन्दर में और विशाल हो जाता है। हिन्दी समन्दर है विभिन्न भाषाएं उसे और विषाल बनाती है।

भाषा के विकास में एकत्व पर ध्यान दिया जाना जरूरी होता है। “बुनियादी स्कूलों में राष्ट्रीय एकता व समन्वय का वातावरण बनाया जाय ताकि स्वावलंबन की भावना के साथ नयी पीढ़ी जाति-पाति, भाषा व प्रान्त की संकुचित भावनाओं से परे रहें।”

आज पुस्तकों में संतवाणी पढ़ाई जाती है, उससे पता चलता है कि पहले संतों ने अलग-अलग प्रान्तों में भ्रमणकर वाणी और साहित्य का प्रसार किया है। संस्कृति को फैलाया है, इस तरह व्यक्ति के साथ भाषा भी जुड़ती गयी।

हम देखते हैं, गुरुद्वारे में गुरुनानक साहब में नामदेव की वाणी अभंग निहित है। मराठी भाषा की अपनी व्यापकता है कि वो सुदूर अपनी पहचान बनाये हुये हैं। संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर तेरहवीं शती के समकालीन कवि रहे हैं। इन्होंने अपनी वाणी से समता एकता का उपदेश दिया। संत युगदृष्टा होते हैं तभी तो ऐसे संतों को हर दृष्टि से समाज के लिये कल्याणकारी माना जाता है।

**साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय।  
सार-सार को गहि रहे थोथा देय बहाय॥**

यह तो जौहरी होता है, जो कोमले में से भी हीरा चुन लिया करता है और उसका यही चुनाव जनसामान्य के कल्याणार्थ होता है।<sup>2</sup> कोई भाषा मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति में कभी बाधा नहीं क्योंकि भाव सहज होता है। प्रारब्ध शब्द हिन्दी और मराठी में समान रूप से प्रयुक्त हुआ है। ‘प्रारब्ध’ शब्द संस्कृतिक है इसे वर्तमान में भी स्वीकारा जाता है।

उदा. कवि नामदेव देव पंढरीनाथ की आराधना करते लिखते हैं।

**अंभग : असंता निरंतर येणे अनुसंधाने।  
प्रारब्ध भोगणे गोडवाटे॥**

कवि तुलसीदास लिखते हैं –

**दोहा : प्रारब्ध पहले रच्यो, पाछे रच्यो शरीर।  
तुलसी चिंता क्यों करे, प्रेम से भजो रघुवीर॥**

मानवीय अस्तिव के संरक्षण के साथ लोकव्यवस्था को एकरूपता देकर उसमें समता स्थापित करना इस आध्यात्मिक समाजवादी भक्ति कविता का दूसरा लक्ष्य रहा है। भेदभाव रहित समता मूलक समाज रचना आज संविधानवादी लोकतंत्र का परमलक्ष्य है।<sup>3</sup>

भाषा में भावार्थ और ज्ञान प्रमुख होता है। जब हम किसी अन्य भाषा के वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें ध्वन्यात्मक मूलक शक्ति से भाव प्रकटीकरण होता है। जैसे –

**“गांधीजी एक सत्यभिज्ञ करण्यासाठी मोठ्यातला मोठा त्याग करायला रिक्त आहेत।”<sup>4</sup>**

**गंगाधर तिलक के वाक्य बच्चों-बच्चों के मुख पर हैं।  
‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे’।**

कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आज महाराष्ट्र में रहते कई वर्ष हो गये तो मराठी और हिन्दी में फर्क दिखना ही नहीं चाहिए वह तो हमारी जुबां बन गयी है अर्थात् बोली। भाषा पानी की तरह होती है जिसमें मिला दों लगे उस जैसा, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा।

तभी तो पहले से यह उक्ति चली आ रही है।  
 कोस—कोस पर पानी बदले  
 और दो कोस पर वाणी

विकास परिवर्तन में संभव है और हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में समाहित करने में भाषाई परिवर्तन को यथासंभव स्वीकारना होगा।

### संदर्भ सूची :

1. गांधी मार्ग की ओर – लेखक श्रीमल्ला रामायण, हिन्दी प्रिटींग प्रेस, नई दिल्ली-6, पृष्ठ 83
2. कबीर की प्रासंगिकता – डॉ. व्यास, प्रकाष्ण वर्ष 2018, ISBN-978-93-81980-54-5, सरस्वती प्रकाष्ण, मुंबई
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास और उसकी समस्याएँ – योगेंद्र प्रतापसिंह, वाणी प्रकाष्ण, नयी दिल्ली, ISBN-978-93-5000-501-9
- 4- गांधी गंगा (मराठी), संपादक महेंद्र मेघानी, प्रकाषक जितेंद्र देसाई, नवजीवन प्रकाष्ण मंदीर अहमदाबाद ISBN-978-81-7229-408-3, Website :[www.navajivantrust.org](http://www.navajivantrust.org)

